

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्तावक राज्य क्रम संख्या :

परियोजना/स्कीम का स्थान

ii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
iii. जिला	बहराइच
iv. वन विभाग	बहराइच वन प्रभाग, बहराइच
v. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.7225 हेक्टेयर
vi. वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि
vii. प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणाम, (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	संलग्न है
viii. हरियाली का घनत्व	0.2
viii. भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण नगण्य है
ix. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित भूमि की वन सीमा	बाराबंकी-बहराइच-नानपारा-रुपईडीहा मार्ग (NH-28C) कि०मी० 92.547 से ९०.०० के मध्य
x. क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल, रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)।	नहीं

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
बहराइच रेंज

Executive Engineer  
N. H. Division P.W.D.  
Lucknow

प्रभागीय उनाधिकारी  
बहराइच वन प्रभाग  
बहराइच

क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिगत की दुर्लभ /रकिटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है। यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धित व्यौरा दें?

- xii. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारस्परिक रथल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दें।
- xiii. उपभोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1, कालम-2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाचें गये विकल्प के व्यौरों के साथ मदवार क्षेत्र क्या है।
- xiv. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

नहीं

इस परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

नहीं

## 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा।

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार

उत्तर प्रदेश शासन के शर्त के अनुसार संलग्न है।

Executive Engineer  
N. H. Division P.W.D.  
Lucknow

Daf  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
बहराइच रेखा

प्रभागीय वनाधिकारी  
बहराइच टान प्रभाग  
बहराइच

ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवश्रमित वन क्षेत्र आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण रकीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूनी लागत दांचा आदि।	संलग्न है।
iv. प्रतिपूरक वनीकरण रकीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र के उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)।	संलग्न है।
11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कालम-7 (xi,xii) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्नक करें)	संलग्न है
12 विभाग/जिला प्रोफाइल	
i. जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4402 वर्ग कि0मी0
ii. जिले का वन क्षेत्र	12065.67 हेए
iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वन क्षेत्र	11 मामले, 141.02908 हेए
iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
क. दण्ड के रूप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
ख. वनेत्तर भूमि पर	-

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी

Executive Engineer  
N. H. Division P.W.D.  
Lucknow

  
प्रान्तीय वनाधिकारी  
बहराइच वन प्रभाग

v. प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति

क. वन भूमि पर

ख. वनेत्तर भूमि पर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा में लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश

908 ब्रिकगाड़ एवं 285.770 है 0 वृक्षारोपण

26 ब्रिकगाड़

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अतः प्रस्ताव को नियमानुसार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

*DHL*  
सेत्रीय वन अधिकारी  
बहराइच रेखा

*W*  
Executive Engineer  
N. H. Division P.W.D.  
Lucknow

*✓*  
प्रभागाधिकारी  
बहराइच वन प्रभाग  
*✓* बहराइच

दिनांक — 27-01-2018

स्थान — बहराइच